(68)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : एम.गोपाल रेड्डी,
प्रशासकीय सदस्य

निगरानी–1803–पीबीआर / 2003 विरुद्ध आदेश दिनांक 09.04.96 पारित द्वारा अपर आयुक्त सागर संभाग सागर प्रकरण कमांक 298 / अ–27 / 1994–95

---

1. कल्लू पुत्र हीरालाल पटेल
2. बृजगोपाल पुत्र हीरालाल पटेल
   दोनों निवासीगण ग्राम बसराहो तहसील गौरिहार
   जिला छतरपुर (म.प्र.) ....**आवेदकगण**

विरुद्ध

रामगोपाल पुत्र सदाशिव कुर्मी
द्वारा मुख्त्यारआम द्वारिका प्रसाद पुत्र रामगोपाल
निवासी ग्राम बसराही तहसील गौरिहार हाल सरवई
जिला छतरपुर (म.प्र.) ....**अनावेदक**

आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री एस.के. अवस्थी

अनावेदक की ओर से अधिवक्ता श्री मुकेश बेलापुलकर

आदेश

(आज दिनांक 21/12/17 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त सागर संभाग सागर के प्रकरण कमांक 298 / अ–27 / 1994–95 में पारित आदेश दिनांक 09.04.96 के विरुद्ध म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जाएगा) की धारा 50 के तहत पेश की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदकगण द्वारा नायब तहसीलदार के आदेश दिनांक 26.04.94 के विरुद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। जिसमें उन्होंने दिनांक 31.05.95 को आदेश पारित करते हुए अपील स्वीकार की। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध अनावेदक द्वारा अपर आयुक्त सागर संभाग सागर के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई। जो अपर आयुक्त ने आलोच्य आदेश द्वारा स्वीकार करते हुए अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त किया गया एवं तहसीलदार द्वारा पारित आदेश स्थिर रखा गया। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है।

3. आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि यह प्रकरण बंटवारे का है। अधीनस्थ न्यायालय का निष्कर्ष विधि सम्मत नहीं है। अतः निगरानी स्वीकार की जाए।

4. अनावेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण के संपूर्ण तथ्यों का विस्तार से उल्लेख करते हुए आदेश पारित किया गया है, जिसमें कोई भी त्रुटि नहीं है। उनके द्वारा यह भी कहा गया कि आवेदक द्वारा स्वत्व घोषणा संबंधी व्यवहार वाद कमांक 53/ए–96 प्रस्तुत किया गया था, जिसे विद्वान सिविल न्यायाधीश द्वितीय श्रेणी लौढी जिला छतरपुर द्वारा अपने आदेश दिनांक 26.07.2002 द्वारा निरस्त किया जा चुका है। व्यवहार न्यायालय का निर्णय राजस्व न्यायालयों पर बंधनकारी है। अतः आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी निरस्त की जाए।

5. उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेखका अवलोकन किया । यह प्रकरण बंटवारे का है अपर आयुक्त ने सम्पूर्ण तथ्यों का विस्तार से उल्लेख करते हुए प्रकरण में आदेश पारित किया गया है । अनावेदक की ओर से इस न्यायालय के समक्ष आवेदक द्वारा प्रस्तुत स्वत्व घोषणा संबंधी व्यवहारवाद क. 53/ए–96 में पारित आदेश दिनांक 26.07.2002 की प्रमाणित

प्रतिलिपि पेश की गई है जिससे स्पष्ट है कि आवेदक का स्वत्व घोषणाा संबंधी वाद निरस्त किया गया है। इस आदेश के विरुद्ध कोई अपील/निगरानी वरिष्ठ न्यायालय में की गई है। इस संबंध में आवेदक अधिवक्ता स्थिति स्पष्ट नहीं कर सके हैं। चूंकि व्यवहार न्यायालय का निर्णय राजस्व न्यायालयों पर बंधनकारी है ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी निरस्त की जाती है।

(एम. गोपाल रेड्डी)
प्रशासकीय सदस्य,
राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर